

तारीख हुक्म

15-5-24

उकरण से सम्बन्धित मूल वाद में शील्ड सुनवाई 310 पत्र पर उकरण आज पेशी पर तलब किया गया। उकरण से सम्बन्धित मूल वाद को प्राप्ति द्वारा विदेशी लैपे पाने के कारण मूल वाद को खारिज कर दिया गया है अतः पक्ष मूल वाद खारिज हो चुका है तो उक्त मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के शर्तना पत्र पर कोई कार्यवाई किया जाने का औचित्य नहीं है। अतः उकरण में चल रही कार्यवाई को अपास्त किया जाता है। मूल 310 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। प्रावली के सल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ समाप्त किया जावे।

